

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक. C/1988 / जबलपुर, दिनांक 18./04/2018.
चार-12-14/80 भाग-दो-ई

श्री खेमराज जोशी, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21-ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22-06-2011, आदेश क्रमांक 3632/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 29-12-2014 एवं क्रमांक 17 (ई) 38/2014/21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08-04-2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 11.04.2018 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल
16.4.18

पृष्ठांकन क्रमांक C/1989 / जबलपुर, दिनांक 18./04/2018
चार-12-14/80 भाग-दो-ई

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
- रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेकाईट पर अपलोड कराने हेतु,
- ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री खेमराज जोशी, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

MS Dubey
(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.
Par